

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 237/2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2022/674

लखमीचन्द पिता सुखदेव जाति सुथार आयु 70 साल, निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. मधुसुदन पिता बट्टीलाल धाकड़, आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
2. नानीबाई पति बट्टीलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
3. रामचन्द्र पिता बोटलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
4. बगदीराम पिता बोटलाल धाकड़, आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
5. उदयराम पिता बोटलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
6. नारायण पिता बट्टीलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेडा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।
8. सागरमल पिता जोधराज कलाल आयु वयस्क निवासी भूजियाखेडी तहसील निम्बाहेडा राज.।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

- उपरिस्थित :-
- 1- श्री इन्दरलाल भाम्बी - अधिवक्ता प्रार्थी
  - 2- पैरोकार सरकार तहसीलदार - विपक्षी नं0 7

:: निर्णय ::

दिनांक :-17.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा भुज्याखेडी पटवार हल्का अरनियाजोशी तहसील निम्बाहेडा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 131 की आराजी नम्बर 27 रकबा 0.76 हैक्टेयर है उक्त आराजी के पुराने आराजी नम्बर 479/22 है। उपरोक्त आराजी वर्तमान नक्शे की आराजी संख्या 33 के पास मौजूद है। आराजी नम्बर 34 के लगती हुई पश्चिम दिशा में मुझ प्रार्थी की आराजी वर्तमान में स्थित है और उसी स्थान पर स्थित आराजी पर मैं प्रार्थी काबिज काश्त होकर बिना किसी बाधा के उपयोग उपरोक्त करता चला आ रहा हूँ। राजस्व कर्मचारी नें सेटलमेंट में मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी को नक्शे में कही दूसरी जगह स्थापित कर दिया है, मेरी आराजी का नक्शा आयताकार था अब बदलकर त्रिभुज के आकार का कर दिया है, जिसे दुरुस्त किया जावे।



लखमीचन्द अधिकारी  
निम्बाहेडा

प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी ने अपनी आराजी का नक्शा पूर्व की तरह रेकार्ड में दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 बाबजूद तागिल अनुपरिथत होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी संख्या 7 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/प्र0गा0स0अ0/विविध/2023/78 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से प्रकरण में जांच रिपोर्ट मय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम भुज्याखेड़ी की आराजी नम्बर 27 एवं उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 29 (मूल) तथा आराजी नम्बर 33 (मूल) की गत के मुकाबले नवीन नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम होना जांच में पाया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन व साबिक विवरण निम्नानुसार है :

वर्तमान विवरण		साबिक विवरण	
आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)
27	0.76	479/22	3-00
29	0.38	478/22	3-00
668/29	0.38	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
31	0.51	481/22	2-00
32	0.01	477/22	3-00
33	0.37	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
666/33	0.38	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
36	9.54	394/22	37-16

प्रकरण में संदर्भ में वर्णित आराजी नम्बर 27, 29, 668/29, 31, 33 व 666/33 तथा चरागाह आराजी नम्बर 36 गत साबिक आराजी नम्बर 22 के हुए टुकड़ों से बने है। वर्तमान में मौके पर पक्षकारान द्वारा काविज कब्जा काशत भी गत साबिक आराजी नम्बर 22 के अन्दर ही होकर नामान्तरण संख्या 95 व 96 पर चस्पा नक्शा ट्रेस के लगभग समान ही है। प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 27 की त्रुटि शुद्धि में वर्तमान आराजी नम्बर 31, 29, 668/29, 33 व 666/33 तथा चारागाह आराजी नम्बर 36 में तरमीम प्रभावित होकर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधित प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन की अनुशंषा की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.स.	खाता संख्या	नाम खातेदार	वर्तमान इन्दाज		प्रस्तावित संशोधन प्रविष्टी	
			आराजी न.	रकबा	आराजी न.	रकबा
1	151	लखमीचंद पुत्र सुखदेव सुथार, सा0 उखलियां	27	0.76	33	0.37
					36 में से	0.39
					किता- 2	0.76
2	84	बगदीराम पुत्र बोललाल धाकड़, उखलियां	33	0.37	666/33 में से	0.13
					36 में से	0.24
					किता-2	0.37



3	109	नानीबाई पत्नि बद्रीलाल 1/2 मधुसुदन पुत्र बद्रीलाल 1/2 धाकड़, उखलियां	29	0.38	666/33 में से	0.12
					36 में से	0.26
					2	0.38
4	137	रामचन्द्र पुत्र बोललाल धाकड़, उखलियां.	668/29	0.38	666/33 में से	0.11
					36 में से	0.27
					किता-2	0.38
5	6	उदयलाल पुत्र बोललाल धाकड़, उखलियां	666/33	0.38	666/33 में से	0.02
					31 में से	0.06
					36 में से	0.30
					किता-3	0.38
6	159	सागरमल पुत्र जोधराज कलाल सा0देह	31	0.51	31	0.45
					36 में से	0.06
					किता-2	0.51
7		चारागाह ग्राम उखलियां	36	9.54	36	8.02
					27	0.76
					29	0.38
					668/29	0.38
					किता-4	9.54
नोट:- शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।						

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दजस्तावेजी साक्ष्यों में ग्राम भुज्याखेड़ी की जमाबन्दी संवत् 2070-2074 की खाता संख्या 131, ग्राम भुज्याखेड़ी का मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरण एवं नक्शों की फोटो प्रतियां पेश की है।

6. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम भुज्याखेड़ी की आराजी नम्बर 27 एवं आराजी नम्बर 29 (मूल) तथा आराजी नम्बर 33 (मूल) की गत नक्शों के मुकाबले नवीन नक्शों में त्रुटिपूर्ण तरमीम होना पाया गया। ग्राम भुज्याखेड़ी की आराजी नम्बर 27, 29, 668/29, 31, 33 व 666/33 तथा चरागाह आराजी नम्बर 36 गत साबिक आराजी नम्बर 22 के हुए टुकड़ों से बने हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मौके पर पक्षकारान द्वारा कब्जा काश्त भी गत साबिक आराजी नम्बर 22 के अन्दर ही होकर नामान्तरण संख्या 95 व 96 पर चस्पा ट्रेस के लगभग समान ही है। हम तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव से सहमत हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन की अनुशंसा की है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। न्यायालय हाजा में दर्ज प्रकरण संख्या 156/2018 उनवान मधुसुदन बनाम सरकार भी इसी प्रकरण से संबंधित होने के कारण दोनों प्रकरणों का निर्णय आदेश एक दिये जाने का निर्णय लिया गया है।



मधुसुदन वगैरा  
निम्बाहेड़ा

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 साबिक रिकार्ड से साबित होने एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भुज्याखेड़ी पटवार हल्का अरनियाजोशी के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर नक्शे में प्रस्तावित शुद्धि अनुसार आवश्यक तरमीम करवावें।

क्र. स.	खाता संख्या	नाम खातेदार	वर्तमान इन्दाज		प्रस्तावित संशोधन प्रविष्टी	
			आराजी नं०	रकबा	आराजी न.	रकबा
1	151	लखमीचंद पुत्र सुखदेव सुथार, सा० उखलियां	27	0.76	33 36 में से किता- 2	0.37 0.39 0.76
2	84	बगदीराम पुत्र बोटलाल धाकड़ सा. उखलियां रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा, निम्बाहेडा	33	0.37	666/33 में से 36 में से किता-2	0.13 0.24 0.37
3	109	नानीबाई पत्नि बट्टीलाल 1/2 मधुसुदन पुत्र बट्टीलाल 1/2 धाकड़ सा. उखलियां दोनों के नाम रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा, निम्बाहेडा	29	0.38	666/33 में से 36 में से 2	0.12 0.26 0.38
4	137	रामचन्द्र पुत्र बोटलाल धाकड़, सा. उखलियां	668/29	0.38	666/33 में से 36 में से किता-2	0.11 0.27 0.38
5	6	उदयलाल पुत्र बोटलाल धाकड़ सा. उखलियां रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा निम्बाहेडा	666/33	0.38	666/33 में से 31 में से 36 में से किता-3	0.02 0.06 0.30 0.38
6	159	सागरमल पुत्र जोधराज कलाल सा० देह रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा निम्बाहेडा	31	0.51	31 36 में से किता-2	0.45 0.06 0.51
7.	187	चारागाह ग्राम उखलियां	36	9.54	36 27 29 668/29 किता-4	8.02 0.76 0.38 0.38 9.54
नोट:- शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।						

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो। क्रमांक 2, 3, 5 एवं 6 पर दर्ज खातेदारान के नाम बैंक रहन दर्ज रिकार्ड है। अतः संबंधित बैंक मैनेजर को उक्तानुसार परिवर्तित आराजियात पर रहने दर्ज करने हेतु लिखा जावे।



मिस्टर मिस्टर  
निम्बाहेडा

लखमीचन्द बनाम मधुसुदन वगैराह  
GCMS No- 2022/674  
प्रकरण संख्या - 237/2022 प्रार्थना प

निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया  
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।



17/8/23  
(रमेश सीरवी मुन्नाडिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा